मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 13/03/2015

क्रमांक एफ 03–2/2013/सत्रह/मेडि–1 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.11.2013 के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित मेट्रन (तृतीय श्रेणी) को परिचर्या अधीक्षक ग्रेड–2 (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+4200 में पदोन्नत करते हुए, उन्हें कॉलम 05 में दर्शायें गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :–

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	दिनांक 01.04. 2010 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती वीणा पीटर	04	जिला चिकित्सालय, छिंदवाड़ा	टी.बी. सेनोटोरियम चिकित्सालय, छिंदवाड़ा
2.	श्रीमती जागवती सिंह ठाकुर	05–बी.	क्षय चिकित्सालय, भोपाल	जिला चिकित्सालय, देवास।

2/– पदोन्नत श्रीमती वीणा पीटर एवं श्रीमती जागवती सिंह ठाकुर को उनके कनिष्ठों की पदोन्नति दिनांक 26.11.2013 से काल्पनिक पदोन्नति तथा वरिष्ठता का लाभ प्राप्त होगा।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम–2002 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम, नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

4/ पदोन्नत अधिकारी में से किसी अधिकारी के विरूद्ध यदि वर्तमान में विभागीय जांच/लोकायुक्त/आपराधिक प्रकरण लंबित है या वह निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुए उसकी सूचना तत्काल इस विभाग को भेजने के लिये कार्यमुक्त करने वाले सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

5/– पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि मे पदोन्नति अधिकारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। समयावधि समाप्त होने के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/3/15

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क्रमांक एफ 3–2/2013/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 13/03/2015

प्रतिलिपिः–

---

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
2. स्टाफ आफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें,
4. संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश,
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, इंदौर एवं भोपाल,
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल, देवास एवं छिंदवाड़ा,
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल, देवास एवं छिंदवाड़ा,
8. संबंधित ....
9. विभागीय जांच /स्टाफ फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/3/15

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल